

# कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, वीकानेर

क्रमांक:—शिविरा / माध्य / बजट / वी-4 / 25577 / 19-20

दिनांक : 24.03.2020

समर्त आहरण एवं वितरण अधिकारी  
माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,  
राजस्थान।

विषय :— कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित लोगों को सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :— वित्त विभाग का पत्रांक : प.3(1)वित्त-1(1)आ.व्य./ 2004 पार्ट I, दिनांक : 23 मार्च, 2020

राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित लोगों की सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के मद्देनजर समर्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्यालयाधीन कार्यरत समर्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माह मार्च-2020 के वेतन से इस प्रयोजन हेतु लिखित अराहमति प्रकट करने वाले कार्मिकों को छोड़ते हुए अन्य समर्त कार्मिकों की लिखित / मौखिक सहमति के आधार पर संक्रमित लोगों की सहायतार्थ मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक दिन का वेतन/सहमति अनुसार राशि निम्नांकित बजट मद में जमा करवाएं।

- 8448 — स्थानीय निधियों की जमा
- 120 — अन्य निधियां
- (07) — राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष
- [10] — कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित लोगों की सहायतार्थ

नोट — उपर्युक्त बजट मद में राशि चालान के माध्यम से भी जमा करवाई जा सकती है।

सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित लोगों की सहायतार्थ वेतन से कटौती की गई राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पृथक से कटौती विवरण पत्र वेतन विपत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे।

  
(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस.  
निदेशक

माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा  
राजस्थान, वीकानेर

क्रमांक:—शिविरा / माध्य / बजट / वी-4 / 25577 / 19-20

दिनांक : 24.03.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, वीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
5. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), राजस्थान, अजमेर।

6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान ।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय )—माध्यमिक /प्रारम्भिक ।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान ।
10. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर,
11. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान—समस्त ।
12. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर ।
13. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर ।
14. समस्त पीईईओ /संस्था प्रधान, राजमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि ।
15. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, निदेशालय—माध्यमिक /प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
16. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
17. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक /प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
18. रक्षित पत्रावली ।

62  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर